बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 14 आपदा 01/2025 1501 (नि) दिनांक– 11/04/2025

प्रेषक,

नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0
निदेशक,
पशुपालन, बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **भूकम्प आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भेजने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभागीय ज्ञापांक 582/आ0प्र0 दिनांक 11.02.2025 के संदर्भ में पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन प्रभाग) विभाग, बिहार, पटना द्वारा भूकम्प आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (Earthquake Standard Operating Procedure) आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 (नि) पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 (नि) पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 (नि) पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 नि॰ पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 नि॰ पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 नि॰ पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2025 1501 नि॰ पटना–15, दिनांक –11/04/2025

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी एवं ~~विभागीय~~ आई॰टी॰ मैनेजर को (अनुलग्नक सहित) ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

12 I.T.

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन प्रभाग)
बिहार, पटना

भूकम्प आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

बिहार के अधिकांश जिले भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आते है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (SOP) में निर्धारित मापदंड के आलोक में राज्य में भूकम्प की स्थिति में पशुओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को निर्गत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के दिशा–निदेश में जिला प्रशासन के समन्वय से जिला पशुपालन पदाधिकारी ससमय भूकम्प से होने वाली पशु क्षति के न्यूनीकरण हेतु तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्य करेंगे।

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का दायरा

भूकम्प से मकान, इमारतों, बुनियादी ढाँचे पुलों, बाँध, सड़क, सुखे पेड़, नलकूप, नल जल योजना का पाईप इत्यादि के नुकसान की संभावना रहती है। इससे पशुओं की क्षति, चोट लगने, चारा की उपलब्धता एवं दूषित पानी होना इत्यादि समस्याओं से पशुओं को सामना करना पड़ सकता है।

भूकम्प से पूर्व का प्रबंधन

- प्रखण्ड/जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को नामित किया जायेगा।
- पशु आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान की पहचान करें ताकि भूकम्प की स्थिति में पशुओं को जल्द से जल्द सहायता पहुँचाया जा सके।
- पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाना चाहिये।
- सभी कृषि उपकरण और अन्य वस्तुयें जो भारी/धारदार है, उन्हें दीवार से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि उनके गिरने से पशुओं को गंभीर चोट लगने की संभावना नहीं रहे।
- पशुओं के आस–पास शीशा, धारदार कृषि यंत्र एवं अन्य लोहा के उपकरण नहीं रखना चाहिये।
- आपातकालीन स्थिति में पशु चिकित्सा पदाधिकारी से सलाह लेना चाहिये।
- लोगों को जागरूक करने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

भूकम्प के बाद बचाव एवं राहत कार्य

1. भूकम्प की स्थिति में किसी भी स्रोत से पशुओं के घायल होने की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल से नजदीकी पशु चिकित्सक, पारा वेट, एम0वी0यू0 (Mobile Veterinary Unit) के द्वारा अविलम्ब पहुँच कर प्राथमिक उपचार किया जायेगा तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।
2. भूकम्प से प्रभावित पशुओं की संख्या एवं मौसम के आधार पर आवश्यकतानुसार पशु शिविर की स्थापना एवं चारा वितरण का कार्य जिला पदाधिकारी के दिशा निदेश में जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार घायल पशुओं की चिकित्सा घटना स्थल पर शिविर लगाकर भी किया जा सकता है। गम्भीर रूप से घायल पशुओं को घटना स्थल से पशुचिकित्सालय तक परिवहन के लिए एम्बुलेट्री वान, एनीमल एम्बुलेन्स एवं अन्य उपलब्ध वाहनो का उपयोग किया जायेगा।

पशुओं के शवों के निस्तारण

1. भूकम्प से मृत पशुओं के शवों के निस्तारण के लिए आबादी एवं शहरी क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थान निश्चित होना चाहिए।
2. शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर शवों का निस्तारण किया जायेगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जन–प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर शवों का निस्तारण किया जायेगा।

4. पशु शवों का निस्तारण स्थानीय पशुचिकित्सक के देख–रेख में गढ्ढा खोद कर जैव सुरक्षा मापदंड़ों का पालन करते हुये किया जायेगा।

भूकम्प के दौरान पशु क्षति से संबंधित सूचना प्राप्त होने की स्थिति में

1. किसी भी स्रोत से पशु मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुँच कर मृत पशु का अन्त्य परीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार करेंगे। संबंधित आवेदक से प्रपत्र–क में आवेदन प्राप्त कर अपने अनुसंशा के साथ जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी संबंधित आवेदन प्रपत्र–क एवं ख को सहाय्य अनुदान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे (प्रपत्र–ख)।
2. पशु शव का अन्त्य परीक्षण करने लायक नहीं रहने की स्थिति में संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा मृत पशुओं की संख्या के संबंध में प्रपत्र–क भर कर जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी संबंधित आवेदन प्रपत्र–क एवं ख को सहाय्य अनुदान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे (प्रपत्र–ख)।
3. अंचलाधिकारी पशु क्षति से संबंधित सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी भी अपने स्तर से जिला पदाधिकारी तथा पशुपालन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी प्रभावित पशुपालकों के मृत पशुओं का अन्त्य परीक्षण (Postmortem) कराने एवं अंचलाधिकारी के स्तर से ससमय जाँच/स्वीकृति का कार्य पूर्ण कराने हेतु जिला प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय करते हुये सहाय्य अनुदान का भुगतान कराने हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे।
4. अधिक संख्या में एक ही स्थान एवं एक ही तरह की परिस्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर random रूप से यथा संभव पाँच प्रतिशत पशुओं/मुर्गियों का अन्त्य परीक्षण (Postmortem) करते हुये मृत्यु का कारण का निर्धारण किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रतिवेदन अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।
5. उक्त कार्य में जिला पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त अभिलेख स्वीकृत कराकर यथासंभव घटना के एक माह के अन्दर सहाय्य अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

भूकम्प के दौरान पशु क्षति हेतु सहाय्य अनुदान की प्रक्रिया

प्रपत्र–क एवं प्रपत्र–ख के अनुसार सहाय्य अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जायेगा।

8/4/25

अपर मुख्य सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–(क)

भूकम्प (आपदा) में पशु क्षति हेतु सहायय अनुदान के लिए आवेदन पत्र

पशुपालक का नाम :–

पशुपालक के पिता का नाम :–

पता :–

ग्रामः– पंचायतः– प्रखंडः– जिलाः–

आधार संख्या :–

मो0 संख्या :–

बैंक खाता संख्या :–		आई0एफ0एस0सी0 कोड :–	
बैंक का नाम :–		शाखा :–	

घटना स्थल :–

ग्रामः– पंचायतः– प्रखंडः– जिलाः–

क्रमांक	पशु का प्रकार (गाय/भैंस/ बैल/बकरी/बाछा/बाछी/ पाड़ा/पाड़ी/घोड़ा/घोड़ी/मुर्गी आदि)	संख्या	पशु क्षति का कारण
1	2	3	4

वर्षः– ..... दिनांक ..... को भूकम्प (आपदा) के कारण पशु क्षति हुई है, जो सही है। मेरी सूचना गलत पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा/होउँगी।

पशुपालक का हस्ताक्षर

पशु की मृत्यु की जाँच कर ली गयी, जो सही है। शव अन्त्य परीक्षण (Postmartem) प्रतिवेदन संलग्न है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी

प्रपत्र–(ख)

भूकम्प (आपदा) में पशु क्षति सहाय्य से संबंधित जाँच प्रपत्र

क्रमांक	संलग्न प्रपत्र	हाँ/नहीं
1	विहित प्रपत्र में आवेदन पत्रः–	
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट/पशु चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण–पत्र	

क्रमांक	आवेदन के अनुसार		स्थल जॉचोपरान्त संख्या	प्रति ईकाई राशि	SDRF/NDRF Norms के अनुसार अधिकतम		अनुशंसित कुल राशि	अभ्युक्ति
	पशु का प्रकार (गाय/भैंस/ बैल/ बकरी/बाछा/ बाछी/ पाड़ा/ पाड़ी/ घोड़ा/ घोड़ी / मुर्गी आदि)	संख्या			संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

पशुपालक का नाम :–

पशुपालक के पिता का नाम :–

पताः– ग्रामः– पंचायतः– प्रखंड– जिलाः–

आधार संख्या :–

मो0 संख्या :–

बैंक खाता सं0:–		आई0एफ0एस0सी0 कोडः–	
बैंक का नामः–		शाखाः–	

घटना स्थल :–

ग्रामः– पंचायतः– प्रखंड– जिलाः–

को प्रतिवेदन के आधार पर सहाय्य अनुदान हेतु अनुशंसा की जाती है।

अंचलाधिकारी

अभिलेख /स्वीकृति पत्र

श्री ..... से प्राप्त विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कुल ..... पशु क्षति के सहाय्य अनुदान के रूप में रूपये ..... की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृति प्रदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर।